"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2009—आश्विन 3, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 05 सितम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— डॉ. दुर्गेश चंद्र मिश्रा, भा. प्र. से. (1991) पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर एवं पदेन सचिव, सहकारिता विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें सचिव, गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री के. श्रीनिवासुलु, भा. प्र. से. (एसके : 1994) सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से. (1997) संयुक्त सचिव, वन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें संयुक्त सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2009

क्रमांक 1158/801/2009/1-8/स्था.—श्री निरंजन दास, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 22-09-2009 से 26-09-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री निरंजन दास को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री निरंजन दास अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2009

क्रमांक 1160/800/2009/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 14-09-2009 से 17-09-2009 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एल. ताम्रकार अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2009

क्रमांक 1161/802/2009/1-8/स्था.—श्री गेबनुस खलखो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 19-8-2009 से 25-8-2009 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गेबनुस खलखो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गेबनुस खलखो अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक 2489/836/2009/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेयी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22-9-2009 से 25-9-2009 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 18, 19, 20, 21 तथा 26, 27 एवं 28-9-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री के. के. बाजपेयी के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. बाजपेयी को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. बाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

क्रमांक 1164/816/2009/1-8/स्था.—श्री युनूस अली, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 22-9-2009 से 25-9-2009 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री युनूस अली को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री युनूस अली अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

क्रमांक 1167/821/2009/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 801-802/698/2009/1-8/स्था., दिनांक 20-7-2009 द्वारा श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 27-7-2009 से 29-8-2009 तक 34 दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30-8-2009 से 31-8-2009 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 20-7-2009 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

क्र. एफ 3-50/09/गृह-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा नक्सल आपरेशन हेतु अर्द्ध सैनिक बलों एवं भारतीय वायुसेना टीम के लिए लॉजिस्टिक एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में त्वरित निर्णय लेने हेतु शासन स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी का निम्नानुसार गठन करता है :—

शासन स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी

1.	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	-	सदस्य
4.	पुलिस महानिदेशक या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि	-	सदस्य
5.	सचिव (पी), गृह विभाग	-	सदस्य सचिव

2. अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों एवं अर्ध सैनिक बलों एवं भारतीय वायुसेना के राज्य में पदस्थ वरिष्ठतम अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों को आवश्यकता होने पर आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकेगा.

3. उक्त समिति तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए सामग्री क्रय, निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन, टेण्डर आदि प्रक्रियाओं के लिए प्रचलित नियमों में छूट दिये जाने एवं तत्कालिक रूप से निर्णय लिये जाने में सक्षम रहेगी. जहां नियमों का शिथिलीकरण आवश्यक होगा, के संबंध में प्रकरण मंत्रिपरिषद् में अनुमोदन/कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा.

जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति

4. जिला स्तर पर सामग्री क्रय/निर्माण कार्य एवं निविदा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :—

1.	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य सचिव
3.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
4.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	-	सदस्य

5. आवश्यकता होने पर अर्द्ध सैनिक बल के कमाण्डेंट को आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/84/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भारत सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, बिलासपुर को निजी घरेलू अतिआवश्यक कार्य हेतु दिनांक 03-09-2009 से 11-09-2009 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश तथा 12, 13 सितंबर का विज्ञप्त अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री भारत सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, बिलासपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो

उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भारत सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, बिलासपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

5. श्री भारत सिंह, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, भिलाई को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक/एफ-17-05/25-2/09/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1978 के तहत विवाह करने वाले दंपति को नगद प्रोत्साहन पुरस्कार जो अब तक रुपए 6000/-प्रति दंपति दिया जाता था को बढ़ाकर रुपए 25000/- प्रति दंपति दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 245/26786/ब-3/2009 दिनांक 18-8-2009 के अनुपालन में जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ. 01-18/2009/12.—इस विभाग के जारी आदेश दिनांक 25-08-2009 द्वारा उप संचालक (खनिज प्रशासन) से संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में टंकण त्रुटिवश 05 वर्ष से घटाकर 02 वर्ष अंकित हो गई है. अतएव 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कनकने, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 21-1/2007/नौ/55.—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्र. 37 सन् 1954) की धारा 2 के खण्ड (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग के पूर्व अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री आर. पी. एस. त्यागी, आई.ए.एस., तत्कालीन नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और कार्यमुक्त होने की तारीख तक अर्थात् 03 मार्च, 2008 से 01 अक्टूबर, 2008 तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 21-1/2007/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th September 2009

No. F 21-1/2007/IX/55.—In exercise of the powers conferred by clause (VI) of Section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. 37 of 1954) and in supersession of Departmental Notification No. F. 21-08/2007/IX/55, dated 31st December, 2007, the State Government, hereby appoints Shri R. P. S. Tyagi, I. A. S. Controller, Food and Drugs Administration, Chhattisgarh, to exercise the powers and to perform the duties of the Food (Health) Authority under the said Act with effect from the date of taking over the charge of and upto the date of relieving from the said port i. e. dated 03rd March, 2008 to 01st October, 2008 with respect to entire State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY KUMAR PANDEY, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 21-02/2002/नौ/55.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(1) धारा 8 के उपधारा (4) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ख) "प्रावीण्य सूची में अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी के न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 21-02/2002/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 9th September 2009

No. F 21-02/2002/IX/55.—State Government, hereby, makes the following amendment to the Chhattisgarh AYUSH Degree Course Admission Rules, 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules :—

(1) "For Section 8 Sub-section (4) clause (b) shall be substituted, namely :—

(b) Candidates scoring minimum 40% in unreserved category and minimum 30% in reserved category in merit list will be considered eligible for admission".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 2 सितम्बर 2009

क्रमांक/51/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	तुमगांव प. ह. नं. 83	0.983	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	गाड़ाघाट एनीकट योजना के डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2009

रा. प्र. क्र./07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	कांटारोली	120.87	प्रबंध संचालक, छ. ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., रायपुर शाखा अम्बिकापुर.	ताराकोल परियोजना हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 7 सितम्बर 2009

क्रमांक/2493/कले./अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	भोपालपटनम्	मद्देड़ टाऊन	1.40	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन हीरक परियोजना केम्प कारली (दन्तेवाड़ा)	NH-16 सड़क चौड़ीकरण योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 8 सितम्बर 2009

क्रमांक/भू-अर्जन/06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बड़ेअलनार प. ह. नं. 27	2.960	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 8 सितम्बर 2009

क्रमांक/भू-अर्जन/07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	चमिया प. ह. नं. 24	4.956	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 06 अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बरेला प. ह. नं. 25	0.036	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तखतपुर - कुरानकापा मार्ग में मनियारी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 07 अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	कुरानकापा प. ह. नं. 25	1.474	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तखतपुर - कुरानकापा मार्ग में मनियारी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्रमांक/7150/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सांगली प. ह. नं. 09	0.385	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	सांगली-हितागुटा मार्ग कि.मी. 3/8 पर शिवनाथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्रमांक/7151/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	करमतरा प. ह. नं. 15	0.405	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	करमतरा साल्हेजलहल मार्ग पर साल्हेजलहल नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 14 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बरेड़ीमुड़ा	0.020	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, कोरबा.	राखड़ बांध (तृतीय चरण) के बुस्टर पंप हाऊस विस्तार हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	झोरा	1.465	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, कोरबा.	राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	छुरीखुर्द	17.346	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, कोरबा.	राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	घोरापाट	38.866	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, कोरबा.	राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	धनरास	5.695	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, कोरबा.	राखड़ बांध (तृतीय चरण) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्र./क/वा./अ.वि.अ./भू-अर्जन/2009/786.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चांपा, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.391 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2631/1	0.397
2631/2	0.372
2631/3	0.324
2631/4	0.121
2631/5	0.267
2631/7	0.028
2631/8	0.429
2632/1	0.134
2632/5	0.405
2632/2	0.607
2632/7	0.445
2632/3	0.332
2632/4	0.040
2632/6	0.373
2632/8	0.332
2632/9	0.121
2632/10	0.036
2632/11	0.344
2632/18	0.219
2632/12	0.105
2632/13	0.405
2632/14	0.097
2632/15	0.097
2632/16	0.020
2632/17	0.032
2632/19	0.081
2632/21	0.020
2632/22	0.028
2633/1	0.809
2633/2	0.607
2634/1	1.680
2634/2	0.849
2634/3	0.312
2634/4	0.206
2634/5	0.312
2587/2 घ	0.405
योग	11.391

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संयंत्र के विस्तार परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्र./क/वा./अ.वि.अ./भू-अर्जन/2009/789.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चांपा, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.562 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1217	0.150
1656/1	0.099
1756/2 ण	0.008
1754/1	0.008
1558	0.016
1705/3	0.129
1754/2	0.038
1380	0.058
1705/2	0.032
1706/1	0.022
1377/1	0.137
1570/1	0.190
15[illegible]9/3	0.162
1547/1	0.020
1383/2	0.170
1404	0.172
1405/2	0.061
1407/3	0.125
1382/1	0.144
1382/3	0.049
1384/3	0.162
1550/2	0.101
1569/5	0.087
1707	0.030
1372/1	0.077
1403/1	0.014
1382/4	0.022
1398	0.030
1406/1	0.101
1406/2	0.057
1717/2	0.075
1235	0.055
1551	0.089
1552/1	0.070
1721	0.061
1756/2 ख	0.016
1371	0.126
.1234	0.018
1559/1, 1561	0.186
1708	0.047
1387	0.178
1381/2	0.089
1384/9	0.101
1385/2	0.049
(1)	(2)
1407/2	0.063
1546/1	0.028
1718	0.105
1738	0.026
1756/2 क, 1757	0.099
1756/2 छ	0.008
1218/2, 1219/2	0.105
1569/2, 1705/1	0.109
1656/3	0.026
1656/4	0.026
1756/2 द	0.020
1373/4	0.028
1405/1	0.053
1571	0.093
1656/8, 1657/2	0.178
1369/1 झ	0.081
1222/4	0.042
1231	0.101
1222/2	0.022
1756/2 य	0.012
1372/3	0.146
1218/4, 1219/1	0.081
1756/2 त	0.012
1232	0.047
1569/1	0.210
1754/3	0.036
1572	0.101
1755	0.073
योग	5.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2009

संशोधित

क्रमांक 6476/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-रेवाडीह, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.791 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
350/4	0.349
354	0.231
349	0.004
353	0.032
352	0.445
356	0.077
321	0.097
322	0.073
328/5	0.121
323	0.073
325	0.061
326	0.174
327	0.113
324/2	0.061
324/1	0.061
319/6	0.559
319/8	0.202
320	0.125
389/4	0.057
389/3	0.121
46	0.061
390	0.129
391/1	0.133
392/1	0.133
392/8	0.454
392/9	0.024
393/1, 3	0.530
490/2	0.353
394/1, 394/3	0.053
394/5	0.028
394/7	0.044
395	0.138
397/1, 397/3	0.299
407/1	0.028
455/1	0.227
456	0.089
457/5	0.210
458	0.242
459	0.065
471	0.053
470/2	0.040
473	0.032
472	0.219
475	0.081
476/1	0.290
478/1	0.486
479/1	0.559
480/1	0.020
490/1	0.089
491	0.264
492/1	0.264
492/3	0.073
494/1	0.057
494/3	0.263
506/3	0.081
515/2	0.098
515/3	0.117
515/4	0.044
515/5	0.134
515/6	0.157
515/7	0.093
515/8	0.111
515/9	0.093
389/1	0.125
319/7	0.243

	(1)	(2)
	514	0.429
योग	66	10.791

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/1-अ/82 वर्ष 08-09/132.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.720 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	606	0.004
	610	0.053
	720	0.061
	742	0.004
	613	0.045
	847	0.040
	614	0.004
	746/1	0.021
	746/2	0.019
	615	0.016
	616	0.049
	711	0.008
	712	0.040
	717	0.045
	753/1	0.057
	721	0.012
	726	0.004
	722	0.012
	744/1	0.045
	725/2	0.016
	734	0.004
	730	0.040
	731	0.040
	735	0.024
	845	0.032
	846	0.040
	743/1	0.142
	745	0.016
	748, 749	0.053
	750/1	0.069
	750/2	0.069
	753/2	0.012
	764/2	0.004
	764/3	0.223
	765/1	0.020
	765/2	0.069
	766	0.089
	767	0.036
	844	0.057
	848/1, 848/2	0.053
	849	0.073
योग	43	1.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लालपुर उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र.अ./01/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायपुर
  (ख) तहसील-पलारी
  (ग) नगर/ग्राम-बलौदी, प. ह. नं. 31
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.321 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	619/4	0.112
	620/2	0.02
	619/5	0.029
	620/1	0.324
	619/3	0.43
	619/8	0.020
	619/9	0.202
	619/7	0.101
	619/6	0.083
योग	9	1.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 11/अ 82 वर्ष 07-08.—छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 24 जुलाई 2009 के पृष्ठ क्रमांक 1089 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) के धारा 6 के अन्तर्गत जिला रायपुर, तहसील आरंग, ग्राम मंदिर हसौद में नई राजधानी योजनान्तर्गत रोड नं. 01 के निर्माण हेतु अधिसूचना प्रकाशित हुआ है. उक्त अधिसूचना में खसरा नंबर 1281/26 रकबा 0.099 का प्रकाशन त्रुटिवश हो गया है. उक्त के स्थान पर खसरा नंबर 1281/27 रकबा 0.010 पढ़ा जाए. इसी प्रकार कुल क्षेत्रफल रकबा 6.591 हे. के स्थान पर 6.502 हे. पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 सितम्बर 2009

क्रमांक/1408/अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
  (ग) नगर/ग्राम-संबलपुर, प. ह. नं. 24
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
110/4	0.02

	(1)	(2)
	637/2	0.02
योग	2	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके जिसके लिए आवश्यकता है-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डी-लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 सितम्बर 2009

क्रमांक/1411/अ/82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-डौण्डीलोहारा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
355	0.13
356/2	0.17
359	0.01
377	0.14
381	0.03
356/1	0.05
357	0.14
376	0.13

	(1)	(2)
	380/2	0.07
योग	9	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डी-लोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 8 सितम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/38/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम-तारापुर, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
344	0.004
347	0.113
360	0.161
261	0.121

(1)	(2)
458	0.057
260	0.024
301	0.041
303	0.024
296/1	0.065
298	0.049
392	0.045
461/2	0.012
601/1	0.041
451	0.008
401	0.012
469/1	0.032
460/2	0.012
600	0.053
601/2	0.012
346	0.093
272	0.024
314	0.089
393/1	0.004
462	0.016
273	0.024
302	0.004
304	0.004
297	0.012
382	0.004
296/3	0.065
393/2	0.028
395	0.081
400	0.041
402/1	0.032
456	0.153
463	0.049
601/2	0.012
602/3	0.089
योग 38	1.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तारापुर जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 3 सितम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/39/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम-तारापुर, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
294/1	0.08
301	0.10
योग 2	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-तारापुर जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th September 2009

No. 692/Confdl./2009/II-1-1/2001.—Hon'ble Shri Justice Dilip Raosaheb Deshmukh, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has relinquished charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 05-09-2009 in the afternoon on attaining the age of 62 years.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.